केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंग नाथ मार्ग
मुनरिका, नई दिल्ली–110 067

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
03 DEC 2020
D. No.........
Initials.........

CICOM/A/P/20/00100
CICOM/R/P/20/00345/CV/ADMN

अपीलकर्ता का नाम : श्री अभिषेक कुमार
द्वारा श्री जय शंकर तिवारी
बुनियाद नगर, भनपुरी,
पोस्ट–बिरगांव, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़।
पिन–493 221

1.	आरटीआई आवेदन की तिथि	07.08.2020
2.	सीपीआईओ के जवाब की तिथि	31.08.2020
3.	सीपीआईओ का विवरण	श्री सी0 विनोद बाबू, सीपीआईओ,
4.	प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील प्राप्ति की तिथि	03.11.2020
5.	निर्णय की तिथि	01.12.2020

वाद का संक्षीप्त विवरण :-

1. प्रार्थी ने अपने प्रस्तुत आरटीआई आवेदन के माध्यम से अपने पत्र संख्या 26673/2020/DAK-CIC दिनांक 24.07.2020 पर आयोग द्वारा की गयी कार्रवाई, कार्रवाई करने वाले अधिकारी के विवरण, संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां आदि सूचना की मांग कुल 9 बिंदुओं के अंतर्गत की थी।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी का जवाब :-

2. प्रार्थी के उक्त आरटीआई आवेदन के संदर्भ में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री सी0 विनोद बाबू ने दिनांक 31.08.2020 के अपने पत्र के माध्यम से प्रशासनिक अनुभाग से प्राप्त सूचना प्रार्थी को प्रेषित कर दी, जिसमें प्रार्थी को यह सूचित किया गया था कि प्रार्थी का प्रश्नगत पत्र मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यालय में आयोग की कम्प्लैंट पोलिसी के तहत भेजा जा चुका है। इस संबंध में वांछित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के तहत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यह सूचना व्यक्तिगत सूचना के अंतर्गत आती है।

प्रथम अपील का आधार :-

3. आयोग को प्रेषित अपने प्रथम अपील प्रपत्र में प्रार्थी ने यह उल्लेख किया है कि प्रश्नगत शिकायत पत्र प्रार्थी द्वारा ही प्रेषित किया गया है। अतः प्रस्तुत संदर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के अंतर्गत सूचना प्रदान नहीं करने संबंधी जन सूचना अधिकारी का निर्णय सही नहीं है।

निर्णय :-

4. प्रथम अपील, आरटीआई आवेदन और सीपीआईओ द्वारा प्रेषित जवाब का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने अपने प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से अपने एक शिकायत प्रपत्र पर आयोग द्वारा की गयी कार्रवाई एवं संबंधित सूचना की मांग की है। इस संदर्भ में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने रिकार्ड में तत्समय उपलब्ध तथ्यात्मक सूचना प्रार्थी को प्रेषित कर दी है। यहां यह उल्लेख प्रासंगिक होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(च) के प्रावधानों के अंतर्गत केवल वह सूचना, जो लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध और उसके द्वारा धारित अथवा उसके नियंत्रणाधीन है, प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित जवाब कि प्रार्थी का प्रश्नगत पत्र मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यालय में आयोग की कम्प्लैंट पोलिसी के तहत भेजा जा चुका है, तथ्यानुरूप है। जहां तक इससे संबंधित अन्य सूचना और दस्तावेजों का प्रश्न है, यह संबंधित व्यक्ति, जिसके विरूद्ध शिकायत की गयी है, से संबंधित सूचना है और इस प्रकार यह तृतीय पक्ष की निजी सूचना है, जिसका प्रकटन सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिबंधित है। अतः प्रस्तुत मामलें में प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

6. यदि प्रार्थी उपरोक्त निर्णय से असंतुष्ट हैं, वे चाहें तो प्रस्तुत निर्णय के विरूद्ध केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली–110 067 के समक्ष प्रस्तुत निर्णय की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के अंदर द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं।

दिनांक 01 दिसंबर, 2020

मीना शर्मा 01/12/2020

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष: **26162290**

प्रतिलिपि :-

1. श्री राम कुमार, सीपीआईओ, आरटीआई सेल, सीआईसी, नई दिल्ली।
2. श्री सी0 विनोद बाबू, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, सीआईसी, नई दिल्ली।

Dayanand 03/12/2020